

19.01.2022:—आज यह पत्रावली वादी वकील के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी के निवेदन किया कि वर्तमान में इस प्रकरण में राजीनामा हो जाने से इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते वादी के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर वादीया कविता के लिखित में कथन कर वाद-पत्र को खारिज किये जाने को कथन किया। वादीगण कि पहचान अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय द्वारा कि गई। अतः वादपत्र वादीगण मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते



(डॉ. अवि गर्ग)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ़

